



नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

NARMADA CONTROL AUTHORITY

(Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Govt. of India)



कं: सी-14/3/प्रोविडेंट फण्ड/2017/ 2293-2299

दिनांक: 11.07.17

प्रति,

प्रोविडेंट फण्ड बोर्ड अध्यक्ष महोदय/
सदस्य एवं आमंत्रित सदस्य,
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर
(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय: नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण प्रोविडेंट फण्ड ट्रस्ट बोर्ड के बैठक के कार्यवृत्त (मिनिट्स) की जानकारी देने बाबत।

महोदय,

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण प्रोविडेंट फण्ड ट्रस्ट बोर्ड की बैठक दिनांक 23 जून, 2017 को प्रातः 11.00 बजे कार्यकारी सदस्य महोदय के कक्ष में आयोजित की गई थी, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण प्रोविडेंट फण्ड ट्रस्ट बोर्ड की उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त (मिनिट्स) जानकारी हेतु संलग्न है।

धन्यवाद।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(कमलेश कुमार जैन)

वित्त अधिकारी एवं सदस्य सचिव
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण,
प्रोविडेंट फण्ड ट्रस्ट बोर्ड

नर्मदा सदन, सेक्टर-बी, स्कीम नं. 74 सी,
विजय नगर, इन्दौर-452 010 (म. प्र.)

Narmada Sadan, Sector-B,
Scheme No. 74-C, Vijay Nagar,
Indore-452 010 (M.P.), INDIA



स्वच्छ सुरक्षित जल-सुन्दर खुशहाल कल
CONSERVE WATER - SAVE LIFE

वित्त अधिकारी
Finance Officer
उप निदेशक (प्रशा.)
Dy. Director (Adm.)
उप निदेशक (त.स.)
Dy. Director (TC)
सहायक अभियंता (सम्पर्क)
Asstt. Engineer (Lia.)
Web Site : www.mowr.gov.in | www.nca.gov.in

टेलीफैक्स : 0731-2551429

टेलीफैक्स : 0731-2557888

फोन : 0731-2552172

टेलीफैक्स : 0731-2552172

फोन : 0731-2557233

फैक्स : 0731-2575749

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण प्रोविडेंट फण्ड ट्रस्ट बोर्ड के दस्तियों एवं आमंत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची :

✓ 1. कार्यकारी सदस्य	—	अध्यक्ष
2. सदस्य (सिविल)	—	सदस्य
3. सचिव, न.नि.प्रा.	—	सदस्य
4. उप निदेशक (प्रशा.)	—	सदस्य
5. वित्त अधिकारी	—	सदस्य सचिव

आमंत्रित अधिकारी/कर्मचारी :

1. मुख्य अभियंता, न.नि.प्रा.
2. श्रीमती रंजना एस. चौहान, आशुलिपिक – कर्मचारी प्रतिनिधि


नर्मदा के वेबसाइट
पर प्रकाशित करें।


12/7/17


वित्त अधिकारी 12/7/17
सं. नि. प्रा. अधिक.


दिनांक 23 जून, 2017 को नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण प्रोविडेंट फण्ड ट्रस्ट बोर्ड की आयोजित मीटिंग में लिये गये निर्णयों का विवरण इस प्रकार है :


1. वर्ष 2015-16 में प्रोविडेंट फण्ड (जीपीएफ व सीपीएफ) संबंधी वार्षिक लेखों के किए गए ऑडिट की स्वीकृति प्रदान की गई।
2. प्रोविडेंट फण्ड को निवेशित करने हेतु प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया कि बचत खाते में फ्लैक्सी मल्टी डिपाजिट स्कीम लागू की जावे।
3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जीपीओ चौराहा, इन्दौर से जीपीएफ/सीपीएफ के खाते को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के निकट की बैंक शाखा में खाता स्थानान्तरित किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है।
4. सत्तार्वे वेतन आयोग के अनुसार देय मूल वेतन के अनुसार प्रोविडेंट फण्ड (जीपीएफ/सीपीएफ) में कर्मचारी द्वारा अंशदान लिया जाए।
5. अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक को समाप्त किया गया।



30-6-17

वित्त अधिकारी
सदस्य सचिव


उप निदेशक (प्रशासन)
सदस्य


06/07
सचिव, न.नि.प्रा.
सदस्य


सदस्य (सिविल)
सदस्य


11/7/17
कार्यकारी सदस्य, महोदय
अध्यक्ष